@shahjhanpurpol

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य दिनांक 10.02.2021

थाना बण्डा पुलिस को मिली कामयाबी,

अष्टधातु/ सोने की मूर्ति व पैसा दौगुना करने की बात कहकर धोखाधडी/जालसाजी कर रूपयो की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, साहसिक पुलिस मुठभेड मे 06 शातिर अपराधियो को किया गिरफ्तार, नकली नोटों का बण्डल व नकल सोने की मूर्ति सहित बुलेरो गाडी,नगदी व भारी मात्रा मे अवैध असलहा बरामद ।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्री नवनीत सिंह नायक क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान मे थाना बण्डा पुलिस टीम को बडी सफलता मिली।

दिनाँक 09.02.2021 की रात्रि को थाना बण्डा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बुलेरो नं0 UP27Z3623 में बदमाश तमंचो से लैस है तथा उनके साथ एक पैशन प्रो मोटर साइकिल नं0 UP27V4441 पर उन्ही के दो साथी बदमाश तमंचो व कारतूसो से लैस है। तथा थाना बण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 058/2021 धारा 420/406 भादवि के वादी श्री रामकिशोर पुत्र ओमकार नि0 ग्राम नबाबपुर गंगा थाना पुवाँया जनपद शाहजहाँपुर द्वारा भी सीयूजी नम्बर पर सूचना दी गयी कि मुझसे जो पैसे इन लोगो ने लिये थे उनके दुगने कर देने या मूर्ति देने की बात उक्त लोगो द्वारा कही गयी है।

सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बण्डा मय हमराही फोर्स के खुटार रोड से **लुकमानपुर बहेडा मोड पर** पहुँचे तो मुखविर ने इशारा करके बताया कि लुकमानपुर बहेडा मार्ग पर जो बोलेरो व मोटर साइकिल खडी है ये वही लोग है। पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देखकर बदमाशो द्वारा गाडी की तरफ से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिसमे पुलिस टीम बाल-बाल बच गयी। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 04 व्यक्ति व मोटर साइकिल पर बैठे 02 व्यक्तियो को मौके पर ही पकड लिया जिनके पास से भारी मात्रा मे अवैध असलहा 06 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 12 कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस व एक बुलेरो नं0 UP27Z3623 व मोटर साइकिल पैशन प्रो UP27V4441 बरामद की गयी। तथा गाडी की डिग्गी से थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/21 धारा 420/406 भादवि से सम्बन्धित नकदी 20,000/- रू0 व जामातलाशी से 20000/- रूपये की नकदी अतिरिक्त रूपये व एक पीली धातु की भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्ति सहति घटना को अन्जाम देने के लिये बनाये गये कागज के नोटों के 02 बण्डल बरामद किये गये।

वादी श्री रामकिशोर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि इन्ही व्यक्तियो द्वारा मुझसे मूर्ति खरीदने या पैसा दुगुना करने के नाम पर 30,000 रूपये ले लिये थे तथा मुझे कुछ सामान मूर्ति या पैसा भी नही दिये थे तथा रुपये लेने के तुरन्त बाद दो पुलिस वाले वहाँ पर आ गये थे जहाँ से मै डर कर भाग गया था। आज इन लोगो ने मुझे पैसे वापस करने के लिये बुलाया था उक्त लोगो द्वारा शाहजहाँपुर में कई स्थानो पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है एवं ठगी की है। मोटर साइकिल सवार अभियुक्त संजीव से एक बैग में दो जोडी पुलिस वर्दी अंगोला बरामद की गयी।

अभियुक्त संजीव व इसके साथी द्वारा वर्ष 2010 में शाहजहाँपुर शहर में एक्सिस बैक का एटीएम लूट में शामिल रहा है जिसे थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 1007/2010 धारा 394/411 भादवि में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जो कि जेल से छूटने के बाद पुनः वर्ष 2013 में अपने साथी के साथ फर्जी SOG बनकर एक सेल्समैन से एक लाख रूपये की लूट की थी जिसके सम्बन्ध में थाना सदरबाजार जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 663/2013 धारा 420/392/411 भादवि में पुनः गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त आरक्षी तभी वर्ष 2010 से निलम्बित चल रहा है। एवं वर्तमान में जीआरपी पुलिस लाईन शाहजहाँपुर में नियुक्ति होना बतायी गयी है। उक्त सभी प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना बण्डा पर मु0अ0सं0 59/2021 धारा 147/148/149/170/171/419/307भादवि(पु0मुठभेड) व मु0अ0सं0 60/2021 से 65/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्तगणो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1- रामकिशन पुत्र नत्थूलाल नि0 विलसन्डा रोड कस्वा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

2- शान्ति स्वरूप पुत्र बनवारीलाल नि ग्राम भौरखेडा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

3- राजेश कुमार पुत्र रामभरोसे नि0 ग्राम मीरपुर हीरपुर थाना बिलसन्डा जनपद पीलीभीत हाल पता मो0 गायत्रीनगर कस्वा व थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

4-सर्वेश कुमार पुत्र रामदास नि0 ग्राम खजुरिया थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर

5-संजीव कुमार पुत्र सुन्दर सिंह नि0 ग्राम सिनोली थाना छपरोली जनपद बागपत हाल पता म0नं0 E-4 पुलिस लाईन शाहजहाँपुर तैनाती तैनाती जीआरपी पुलिस लाईन मुरादाबाद **(निलम्बित आरक्षी)**

6-राकेश कुमार उर्फ पप्पू पुत्र जयराखन लाल नि0 मो0 गदियाना थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर **(निलम्बित होमगार्ड)**

- **पूछताछ विवरण/अपराध करने की तरीका**

उपरोक्त व्यक्तियो के पास भगवान महात्मा गौतमबुद्ध की पीली धातु की मूर्ति है जिस पर सोने का पालिस चढा हुआ है जिसको सोने/अष्टधातु की मूर्ति बताकर ग्राहक को खरीदने के लिये लालच दिया जाता है तथा रूपयो को दुगुना करने के लिये भी ग्राहक को लालच दिया जाता है। इसके उपरान्त ग्राहक जब पैसा लेकर आता है तो पैसो को ले लिये जाता है तथा मूर्ति/कागज में रूपयो का बण्डल दिया जाता है। उसके उपरान्त अचानक दो लोग पुलिस की वर्दी में आते है , और ग्राहक डर की वजह से भाग जाता है। उसके बाद ग्राहक द्वारा दिये गये रूपयो को आपस मे बांट लिया जाता है। ग्राहक द्वारा पुलिस के डर की वजह से कही पर भी शिकायत करने की हिम्मत नही कर पाता है। उक्त लोगो द्वारा दिनांक 04.02.2021 को थाना सिंधौली क्षेत्र में थाना निगोही क्षेत्र के रहने वाले मिथुन सिंह पुत्र प्रयाग सिंह नि0 ग्राम बसखेडा थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को रहरिया नदी के पुल पर आधे रेट मे सोने का लालच देकर मिथुन सिंह उपरोक्त से साथ एक लाख साठ हजार रूपयो की जबरन ले लिये थे। जिसका थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 49/2021 धारा 386/420/406/506 भादवि पंजीकृत है।

- **आपराधिक इतिहास**

1- मु0अ0सं0 1007/2010 धारा 394/411 भादवि थाना सदर बाजार बनाम संजीव कुमार उपरोक्त (एटीएम लूट)
2- मु0अ0सं0 663/2013 420/392/411 भादवि थाना सदर बाजार बनाम संजीव कुमार उपरोक्त,
3- मु0अ0सं0 58/2021 धारा 420/406 भादवि थाना बण्डा बनाम रामकिशुन आदि 06 नफर
4- मु0अ0सं0 49/2021 धारा धारा 386/420/406/506 भादवि थाना सिधौली बनाम रामकिशुन आदि 06 नफर उपरोक्त
5- मु0अ0सं0 59/2021 धारा धारा 147/148/149/307 भादवि(पु0मुठभेड) थाना बण्डा बनाम रामकिशुन आदि 06 नफर उपरोक्त
6- मु0अ0सं0 60/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम रामकिशुन
7- मु0अ0सं0 61/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम शान्ति स्वरूप
8- मु0अ0सं0 62/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम राजेश
9- मु0अ0सं0 63/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम सर्वेश
10- मु0अ0सं0 64/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम संजीव कुमार
11- मु0अ0सं0 65/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना बण्डा बनाम राकेश कुमार उर्फ पप्पू

- **बरामदगी का विवरण-**

1- नकली नोटों के 02 बण्डल ,
2- एक अदद पीली धातु की मूर्ति
3- 40,000/- रु0 (जिसमे 20000/- रूपये ठगी के),
4- 06 अदद तमंचा देशी 315 बोर
5- 12 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर,
6- 01 अदद मो0सा0 पैशन प्रो न0 UP 27V 4441
7- एक बुलेरो गाडी नं0 UP27Z3623
8- दो जोडी पुलिस की वर्दी अंगोला(गर्म)

- **गिरफ्तार करने वाली टीम**

1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार
2- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार
3- उ0नि0 श्री रमेश कुमार
4- उ0नि0 श्री रवेन्द्र सिंह
5- का0 1870 विजेन्द्र सिंह
6- का0 308 रियाजुद्दीन
7- का0 1295 अंकित कुमार ,
8-का0 1182 कुलदीप सिंह
9- का0 1859 प्रेमपाल
10-का0 1873 मनीष देशवाल
11- का० 2278 कुलदीप कुमार
12-का0 2255 महताब
13- का0 2319 अनुराग गौतम
14. चालक का0 अनुज कुमार